

प्रेस-विज्ञप्ति**थाना- जीयनपुर****एक अदद तमंचा .315 बोर व 2 अदद जिन्दा कारतूस .315 बोर व एक अदद चाकू के साथ****02 अभियुक्त गिरफ्तार**

वरिष्ठ पुलिस अधीक्षक आजमगढ़ सुधीर कुमार सिंह द्वारा चलाये गये अभियान वांछित / गैंगेस्टर चोर लुटेरा नकबजन के वांछित अभियुक्तों की गिरफ्तारी के क्रम में अपर पुलिस अधीक्षक ग्रामीण व क्षेत्राधिकारी सगड़ी के कुशल निर्देशन में दिनांक 6/1/2021 को उ०नि० भगत सिंह मय हमराह समय 21:16 बजे देखभाल क्षेत्र रात्रि गश्त तलाश वांछित वारन्टी में मामूर थे तथा कंजरा बाजार तिराहा अपराध एवं अपराधियों के बारे में बातचीत कर रहे थे कि जरिए मुखबिर खास सूचना मिली कि सालहे पुर मोड़ गेट के पास नाजायज असलहों के साथ कुछ बदमाश एकत्रित है । जो कहीं लूट की योजना बना रहे हैं इस सूचना पर विश्वास कर पुलिस टीम मय मुखबिर के सालहे पुर मोड़ पर पहुंचे तथा लुक छिप कर देखा गया तो सालहे पुर मोड़ गेट के आड़ में बैठे लोगों की फुसफुसाहट की आवाज आ रही थी कि तभी एक व्यक्ति ने तेज कहा कि चलो समय अधिक हो गया है रोड से आने वाले व्यक्तियों की लूट पाट किया जाए और उठकर खड़े हो गए कि पूर्ण विश्वास हो गया कि यह लुटेरों का गिरोह है जो लूटपाट करने जा रहा है कि पुलिस टीम द्वारा एक बारगी घेर कर आवश्यक बल प्रयोग कर मौके पर दो व्यक्तियों को पकड़ लिया गया तथा एक व्यक्ति रात्रि का फायदा उठाते हुए भागने में सफल रहा । पकड़े गए व्यक्तियों का नाम पता पूछा गया तो अपना नाम प्रकाश पुत्र हरिश्चन्द्र सा० छपरा सुल्तानपुर थाना जीयनपुर जनपद आजमगढ़ बताया । जिसकी तलाशी ली गई तो एक अदद तमंचा .315 बोर व 02 अदद जिन्दा कारतूस तथा दूसरा व्यक्ति अपना नाम रणविजय सिंह s/o भीमा सिंह ग्रा० सालहेपुर थाना जीयनपुर जनपद आजमगढ़ बताया जब उसकी जामा तलाशी ली गई तो एक अदद चाकू बरामद हुआ दोनों व्यक्तियों से अवैध तमंचा व चाकू रखने का लाइसेंस मांगा गया तो दिखा नहीं सका तथा दोनों व्यक्तियों से भागे हुए व्यक्ति का नाम पता पूछा गया तो बताये कि उसका नाम पुल्लू यादव s/o फेरा यादव साकिन छपरा सुल्तानपुर थाना जीयनपुर जनपद आजमगढ़ है तथा गिरफ्तार शुदा व्यक्तियों से पूछा गया तो बताएं कि हम लोग मिलकर आने जाने वाले लोगों से लूट करते हैं अभि०गण का यह कार्य अन्तर्गत धारा 398/401 IPC व 3/25 A.Act व 4/25 A.Act का दण्डनिय अपराध है। अतः कारण गिरफ्तारी बताकर वजाफता वकायदा समय 23:15 बजे पुलिस हिरासत में लिया गया । अभियुक्तगण को गिरफ्तार कर चालान माननीय न्यायलय किया जा रहा है।

गिरफ्तार अभियुक्तगण-

1. प्रकाश पुत्र हरिश्चन्द्र निवासी छपरा सुल्तानपुर थाना जीयनपुर जनपद आजमगढ़
2. रणविजय सिंह पुत्र भीमा सिंह निवासी सालहेपुर थाना जीयनपुर जनपद आजमगढ़

बरामदगी-

अभियुक्त प्रकाश उपरोक्त के कब्जे से एक अदद तमंचा .315 बोर व 2 अदद जिन्दा कारतूस .315 बोर व अभियुक्त रणविजय उपरोक्त कब्जे से एक अदद चाकू बरामद होना।

पंजीकृत अभियोग-

1. मु0अ0सं0 7/21 धारा 398/401 IPC थाना जीयनपुर जनपद आजमगढ़
2. मु0अ0सं0 8/21 धारा 3/25 A Act थाना जीयनपुर जनपद आजमगढ़
3. मु0अ0सं0 9/21 धारा 3/25 A Act थाना जीयनपुर जनपद आजमगढ़

आपराधिक इतिहास-

अभियुक्त प्रकाश पुत्र हरिश्चन्द्र निवासी छपरा सुल्तानपुर थाना जीयनपुर जनपद आजमगढ़

1. मु0अ0सं0 420/08 धारा 325 IPC थाना जीयनपुर आजमगढ़
2. मु0अ0सं0 150/16 धारा 3/5A/8 गो0नि0अधि0 थाना जीयनपुर आजमगढ़
3. मु0अ0सं0 31/17 धारा 110 CRPC थाना जीयनपुर आजमगढ़
4. मु0अ0सं0 7/21 धारा 398/401 IPC थाना जीयनपुर आजमगढ़
5. मु0अ0सं0 8/21 धारा 3/25 A Act थाना जीयनपुर आजमगढ़

अभियुक्त रणविजय सिंह पुत्र भीमा सिंह निवासी सालहेपुर थाना जीयनपुर जनपद आजमगढ़

1. मु0अ0सं0 7/21 धारा 398/401 IPC थाना जीयनपुर आजमगढ़
2. मु0अ0सं0 9/21 धारा 4/25 A Act थाना जीयनपुर आजमगढ़

गिरफ्तार करने वाली पुलिस टीम-

1. प्रभारी निरीक्षक नन्द कुमार तिवारी थाना जीयनपुर जनपद आजमगढ़
2. उ0नि0 भगत सिंह थाना जीयनपुर जनपद आजमगढ़
3. का0 अंकित पाल थाना जीयनपुर जनपद आजमगढ़
4. का0 सुजित थाना जीयनपुर जनपद आजमगढ़